

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान (दौसा)

पीठासीन अधिकारी - वृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु० न० - 122/2015 (113/2012)
प्रकरण दर्ज - 22.01.2015 (06.09.2012)
प्रकरण निस्तारण - 02.08.2021

अनुवानी प्रकरण

1. कौशलया पुत्री गणपत
 2. सन्ती पुत्री गणपत
 3. मु० कौरी बेवा गणपत
- जाति मीना निवासी डागोलाई तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

- वादीगण

बनाम

1. रमेश पुत्र रामकिशोर
2. मनबो बेवा रामकिशोर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान।

-प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा

निर्णय

दिनांक - 02.08.2021

पत्रावली वारते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 442, 477, 478, 529, 647, 648, 682 से 687, 730, 754 से 756, 759, 855 से 859 कुल कित्ता 21 कुल रकबा 5.77 हैक्टेयर वाके रामा डागोलाई तहसील नांगल राजावतान मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2017 संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार नांगल राजावतान को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार नांगल राजावतान ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भूअ./2020/5870 दिनांक 26.08.2020 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वादीगण को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वादीगण ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


वादीगण की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 442 रकबा 0.1650 है०, खसरा नंबर 477 रकबा 0.05 है०,

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

खसरा नंबर 478 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 529 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 647 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 683 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 684 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 686 रकबा 0.39 है0, खसरा नंबर 730 रकबा 0.20 है0, 759 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 754 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 756 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 855 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 856 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 857 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 859 रकबा 0.18 है0 कुल कित्ता 16 कुल रकबा 2.885 हैक्टयर भूमि कौरी पत्नी गणपत हिस्सा 1/3, जोशाला पुत्री गणपत हिस्सा 1/3, सन्ती पुत्री गणपत हिस्सा 1/3 जाति मीना सा. देह खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 442/1 रकबा 0.1550 है0, खसरा नंबर 478/1 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 529/1 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 648 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 682 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 685 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 687 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 730/1 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 754/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 755 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 756/1 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 759/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 855/1 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 856/1 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 857/1 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 859/1 रकबा 0.18 है0 कुल कित्ता 16 कुल रकबा 2.885 हैक्टयर भूमि मनबो पत्नी रामकिशोर हिस्सा 1/2 रमेश पुत्र रामकिशोर हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा पापडदा रहेगा।

कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



13
उपखण्ड अधिकासी
एवं नजिस्ट्रेट
नाम्बल राजावत (दोसा)